

Notpass

२३^५/_{२२}

२३/७/२२

आज यह पत्रावली प्राथमिक अधिवक्ता के
द्वारा प्राथमिक पत्र पेश करने पर पेशी में
ली गई। प्राथमिक पत्र में निवेदन किया कि प्राथमिक
उक्त अनवान प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते
और वापिस लेना चाहते हैं। अतः प्राथमिक पत्र
इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

प्राथमिक अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली
का अवलोकन किया गया। प्राथमिक द्वारा प्राथमिक
पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA नोटिस करने पर
प्राथमिक का प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निती
होकर नगर से काम होकर मूलवाद के साथ संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर